-प्रेस नोट-

दिनांकः07 09.2025.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में सहारनपुर पुलिस द्वारा अपराध नियन्त्रण हेतु चलाये जा रहे विभिन्न अभियानों में कृत कार्यवाही का विवरण

अवगत कराना है कि श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध की रोकथाम, अपराधियों पर निरन्तर निगरानी करके उनकी वर्तमान सक्रियता पर सघन दृष्टि रखना व वांछित/वारण्टी/गैंगस्टर/लूटेरे/गौकश/नकबजन अपराधियों की गिरफ्तारी, ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत माननीय न्यायालय में सशक्त पैरवी कर दोषियों को सजा कराने, लम्बित विवेचनाओं का निस्तारण अभियान, ऑपरेशन क्लीन के तहत थानों पर लम्बित मालो के निस्तारण हेतु, विभिन्न स्तरो पर लम्बित शिकायती प्रार्थना पत्रों का गुणवत्तापूर्वक निस्तारण, गुमशुदा मोबाइलों की बरामदगी, साइबर अपराध में ठगी गयी धनराशि वापस कराने, चोरो द्वारा ड्रोन कैमरों का प्रयोग कर चोरी करने की अफवाहो के सम्बन्ध में जन चौपालों का आयोजन कर जागरूकता अभियान, अवैध मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतू अभियान चलाये जा रहे है। अभियानो के अनुपालन मे सहारनपुर पुलिस द्वारा पूर्ण मनोयोग से कार्यवाही की जा रही है जिससे अपराध मे कमी आयी है एव आम जनता का पुलिस के प्रति विश्वास बढा है। सहारनपुर पुलिस द्वारा उपरोक्त अभियानो मे की गयी अब तक कार्यवाही का विवरण निम्नवत है।

1. **आपरेशन कन्विक्शनः-** दिनांक 01-08.2025 मे 06.09.2025 तक सहारनपुर पुलिस की सशक्त पैरवी के चलते कुल 57 अभियोगो मे 71 अभियुक्तो को माननीय न्यायालय द्वारा अर्थदण्ड व कारावास से दण्डित किया गया।
2. **NBW/वारंटियो की गिरफ्तारी-** दिनांक 22.08.2025 से 06.09.2025 तक मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्तों के विरूद्ध जारी किये गये NBW की तामील में कुल 681 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
3. **IGRS प्रार्थना पत्र गुणवत्तापूर्वक निस्तारण-** दिनांक 01.07.2025 से 06.09.2025 तक प्राप्त आईजीआरएस पोर्टल पर कुल 4750 शिकायती प्रार्थना पत्रों की गहनता से जाँच कर गुणवत्तापूर्वक निस्तारण का किया तथा आवेदनकर्ताओं से प्राप्त फीडबैक प्राप्त करने पर जनता से प्राप्त संतुष्टी का फीडबैक कुल 86.04 प्रतिशत रहा।
4. **राष्टीय लोक अदालतः-** दिनांक 13.09.2025 को आयोजित होने वाली राष्टीय लोक अदालत से सम्बन्धित मा0 न्यायालय से प्राप्त कुल 27,957 नोटिस/समन अभियान चलाकर तामील कराये गये।

5. **अभियान "ऑपरेशन क्लीन-02"-** दिनांक 01.08.2025 से 05.09.2025 तक प्रचलित आपरेशन क्लीन अभियान के अन्तर्गत कुल 511 मालो का विधिक निस्तारण कराया गया।
6. **गुमशुदा मोबाइल फोन की बरामदगी-** दिनाक 21.08.2025 से 06.09.2025 तक 26 मोबाईल फोन को सर्विलांस के माध्यम से ट्रेस कर लिया गया है।
7. **नलकूप/तार/ट्रासफार्मर चोरी करने वाले अभियुक्तो का सत्यापन-** दिनांक 06.09.2025 तक 185 अभियुक्तो का सत्यापन कर उनकी गतिविधियो पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।
8. **लम्बित विवेचनाओ के निस्तारण के अभियान-** दिनांक 06.09.2025 तक 901 विवेचनाओ का गुणवत्तापूवर्क निस्तारण किया गया।
9. **डायल-112 पर ड्रोन कैमरो के सम्बन्ध मे प्राप्त झूठी सूचना-**दिनांक 01.08.2025 06.09.2025 तक 106 सूचनाए प्राप्त हुई जिनके सम्बन्ध मे जन चौपाल लगाकर लोगो को जागरूक किया गया तथा झूठी अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की गयी एवं जनता से झूठी अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की गयी।
10. **चोर/नकबजनो/लुटेरे अभियुक्तो का सत्यापन-** दिनांक 25.08.2025 से 05.09.2025 तक 6611 अभियुक्तो का सत्यापन कराया गया तथा अपराधियों की गतिविधियों पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है।
11. **थाना साइबर क्राइम/थानो पर गठित साइबर सैल द्वारा वापस करायी गयी धनराशि-** दिनांक 01-08-2025 से अबतक साइबर अपराधियों द्वारा साइबर फ्राड करके ठगी गयी धनराशि से में कुल 14,55,266/- रूपये की धनराशि पीडितो के खाते मे वापस करायी गयी।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना मिर्जापुर पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 02 जिन्दा/01 खोका कारतूस बरामद

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2025 की रात्रि को वादी विशाल कुमार पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम आरजी जोडियो थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर द्वारा थाना उपस्थित आकर एक लिखित तहरीर बाबत विपक्षी गुरमीत पुत्र समर सिंह निवासी ग्राम नौशेरा ततारपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर आदि 06 अन्य के द्वारा वादी पर जान से मारने की नियत से फायर करना व मारपीट करने के सम्बन्ध में थाना मिर्जापुर पर मु0अ0स0 166/25 धारा 109(1)/191(2)/ 191(3) /115(2) बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा उपरोक्त घटना का तत्काल संज्ञान लेकर अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु दिशा-निर्देश दिए गये, जिनके क्रम में के निर्देशन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुनील नागर के कुशल नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त में वांछित **अभियुक्त गुरमीत पुत्र समर सिंह निवासी ग्राम नौशेरा ततारपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर** को रायपुर मिर्जापुर रोड़ से गिरफ्तार किया गया जिसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर, मय 02 जिन्दा व 01 खोका कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 3/25 आयुध अधि0 की बढोत्तरी की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

गुरमीत पुत्र समर सिंह निवासी ग्राम नौशेरा ततारपुर थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

बरमदगी का विवरणः-

- 01 तमंचा 315 बोर
- 02 जिन्दा व 01 खोका कारतूस 315 बोर

गिरफ्तार का आपराधिक इतिहासः-

मु0अ0स0 190/2012 धारा 379/411 भादवि थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1. उ0नि0 ललित कुमार थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
2. हेका0 958 धीरेन्द्र थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।
3. का0 949 प्रशान्त राणा थाना मिर्जापुर जिला सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा नाबालिग से दुष्कर्म के मुकदमें में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 06.09.2025 को वादी की लिखित तहरीर पर अभियुक्त काका उर्फ विशुल पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम माँझीपुर जनपद सहारनपुर द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री को बहला फुसलाकर घर में ले जाकर दुष्कर्म करने तथा किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देने के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0-400/25 धारा- 65(2)/351(3) बीएनएस व 5M/6 पोक्सो एक्ट के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल भाटी व अति0 निरीक्षक श्री संजीव शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना बेहट पुलिस द्वारा अभियुक्त काका उर्फ विशुल पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम माँझीपुर जनपद सहारनपुर को कलसिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- काका उर्फ विशुल पुत्र महेन्द्र नि0 ग्राम माँझीपुर जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. अति0 निरीरीक्षक श्री संजीव शर्मा थाना बेहट जनपद सहारनपुर
2. है0का0 680 भूपेन्द्र सिंह थाना बेहट जनपद सहारनपुर

दिनांकः 07.09.2025

-प्रेस नोट-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना बेहट पुलिस द्वारा मात्र 24 घण्टे के अन्दर अपहर्ता को सकुशल बरामद करते हुए 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनाँक 06.09.2025 को वादी की लिखित तहरीर बावत अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर भगा ले जाने की सूचना के सम्बन्ध में थाना बेहट पर मु0अ0सं0 399/25 धारा 137(2) बीएनएस के पंजीकृत किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा तत्काल घटना का संज्ञान लेकर अभियुक्त की गिरफ्तारी व अपहृता की बरामदगी हेतु आदेश-निर्देश दिये गये। आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी बेहट के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सतपाल सिंह भाटी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2025 को थाना बेहट पुलिस द्वारा विवेचना के दौरान प्रकाश में आये **अभियुक्त शाहरूख पुत्र रिजवान नि0 ग्राम मल्हीपुर पठानपुरा थाना रामपुर मनिहारन जिला सहारनपुर** को रूडकी रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया तथा अपहर्ता को सकुशल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध विधिक कार्यवाही करते हुए मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

1- शाहरूख पुत्र रिजवान नि0 ग्राम मल्हीपुर पठानपुरा थाना रामपुर मनिहारन जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

3. उ0नि0 श्री दीपक कुमार थाना बेहट जनपद सहारनपुर
4. का0 185 हर्ष चौहान थाना बेहट जनपद सहारनपुर
5. का0 2210 लीलाधर थाना बेहट जनपद सहारनपुर
6. म0है0का0 1160 ललिता थाना बेहट जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना देवबन्द, सहारनपुर पुलिस द्वारा 01 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियन्त्रण व वांछित/वारण्टी/शातिर अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण एवं क्षेत्राधिकारी देवबन्द के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री नरेन्द्र कुमार शर्मा के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.25 को थाना देवबन्द पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 शातिर **अभियुक्त नदीम पुत्र मतीन निवासी ग्राम पठानपुरा घास मण्डी कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर** को थाना क्षेत्र देवबन्द से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध चाकू बरामद हुआ। गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना देवबन्द पर मु0अ0सं0-663/2025 धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम मे पंजीकृत किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से मा0 न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता –

1. नदीम पुत्र मतीन नि0 पठानपुरा घास मण्डी कस्बा व थाना देवबन्द सहारनपुर

बरामदगी का विवरण –

01 अवैध चाकू

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1- उ0नि0 श्री रविन्द्र कसाना थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2- है0का0 1047 सतीश नागर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
3- का0 1980 योगेश कुमार थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार

अवगत कराना है कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर के निर्देशन में अपराध नियंत्रण व वांछित/वारण्टी अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण में तथा प्रभारी निरीक्षक श्री सुबे सिह के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 07.09.2025 को मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरा 01 वारंटी **अभियुक्त मिन्टू उर्फ पिन्टू पुत्र कुवरपाल निवासी हलालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर** सम्बंधित वाद संख्या 154/17 धारा 147/148/149/332/341/359/35/ 307 भादवि चालानी में थाना क्षेत्र कोतवाली देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त के विरुद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पताः-

मिन्टू उर्फ पिन्टू पुत्र कुवरपाल निवासी हलालपुर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीमः-

1. उ0नि0 श्री सुबोध कुमार शर्मा थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
2. है0का0 241 कपिल तोमर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।
3. का0 1253 अनिरुद्ध खोखर थाना को0 देहात जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना गागलहेडी, सहारनपुर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग मे वांछित 01 अभियुक्ता सहित 02 अभियुक्त गिरफ्तार

अवगत कराना है कि दिनांक 06.09.2025 को वादी श्री ओमपाल पुत्र कबाडी निवासी ग्राम कपूरी गोविन्दपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर की एक लिखित तहरीर बाबत दिनांक 04.09.2025 को अभियुक्तगण 1.बेबी पुत्री सेन्धू 2.शुभम पुत्र अरविन्द 3.मोधू पुत्र बीरबल 4.सोनिया पत्नी मोधू के द्वारा मिलकर षडयंत्र रचकर वादी के भाई सोनू उर्फ सोनी पुत्र कबाडी की हत्या कर देने के सम्बन्ध मे मु0अ0सं0 226/25 धारा 103(1)/61 बीएनएस पंजीकृत कराया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, सहारनपुर द्वारा घटना का सज्ञान लेकर वांछित अभियुक्तगण की गिरफ्तारी हेतू निर्देशित किया गया। इसी क्रम मे पुलिस अधीक्षक नगर एवं सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी सदर के निकट पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार द्वारा मय पुलिस टीमं के आज दिनांक 07.09.2025 को वांछित अभियुक्त **1.शुभम पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम रसूलपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर 2. बेबी पुत्री सुरेन्द्र उर्फ सेन्धू पत्नी मृतक सोनू उर्फ सोनी निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर** को ग्राम कोलकी कलां से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तगण के विरूद्ध अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही करते हुए समय से माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- गिरफ्तार अभियुक्त शुभम ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं बेबी से पिछले 07 माह से सम्पर्क में था मै बेबी की ससुराल व उसके मायके भी जाता रहता था। जिससे बेबी का पति सोनू उर्फ सोनी नाराज रहता था। दिनांक 04.09.2025 को मै बेबी को उसकी ससुराल से लेकर चला गया था तथा दिनांक 06.09.2025 मै बेबी को लेकर उसके मायके चला गया, जहां पर बेबी का पति सोनू भी आया हुआ था। सोनू ने बेबी को अपने साथ ले जाने के लिए कहा लेकिन काफी मनाने के बाद भी बेबी नही मानी व मेरे साथ रहने की जिद करती रही। दिनांक 06.09.2025 की रात्रि को सोनू उर्फ सोनू बाहर आंगन मे सो रहा था। सुबह सोनू एक खण्डर नुमा कमरे मे रस्सी से फांसी पर लटका हुआ मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पताः-

1. शुभम पुत्र अरविन्द निवासी ग्राम रसूलपुर थाना देवबन्द जनपद सहारनपुर
2. बेबी पुत्री सुरेन्द्र उर्फ सेन्धू पत्नी मृतक सोनू उर्फ सोनी निवासी ग्राम कोलकी कला थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरणः-

1. थानाध्यक्ष श्री प्रवेश कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
2. का0 1755 अनुज कुमार थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
3. का0 1471 संजय मान थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।
4. म0है0का0 1152 रेणु देवी थाना गागलहेडी जनपद सहारनपुर।

-प्रेस नोट-

दिनांकः 07.09.2025

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद सहारनपुर, उत्तर प्रदेश

थाना सदर बाजार पुलिस व एस.टी.एफ आगरा की सयुक्त टींम द्वारा धोखाधडी के अभियोग मे वांछित 02 अभियुक्तगण गिरफ्तार, कब्जे से 02 लाख रुपये,लैपटाप,मोबाईल फोन,आईडी,चैक बुक व गाडी आदि बरामद-

अवगत कराना है कि वादिया श्रीमती बबीता पत्नी दिनेश कुमार निवासी आर0आई0 कम्पाउण्ड थाना सदर बाजार के साथ अभियुक्त गणो द्वारा गिरोह बनाकर वादिया के साथ धोखाधडी व छल करते हुए आर्थिक अपराध कर 6636750/रुपये हडप कर लेने सम्बन्ध मे थाना सदर बाजार पर अभियोग मु0अ0सं0 383/2025 धारा 61(2)ए/111/318(4)/336(3)/338/340(2) बीएनएस पंजीकृत कराया था।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन मे उपरोक्त घटना का संज्ञान लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी हेतू दिशा निर्देश दिये गये। जिसके अनुपालन मे पुलिस अधीक्षक नगर सहारनपुर तथा क्षेत्राधिकारी नगर द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण मे तथा प्रभारी निरीक्षक श्री कपिल देव थाना सदर बाजार के कुशल नेतृत्व मे थाना सदर बाजार पुलिस व एसटीएफ आगरा की सयुक्त टीम द्वारा द्वारा दिनांक 07.09.2025 को वांछित अभियुक्तगण **1. शक्ति सिंह पुत्र राजकुमार निवासी 162/2 गणेश पुरी थाना बृह्मपुरी मेरठ हाल पता फ्लैट नम्बर 610 ली ग्रान्ड कालौनी निकट साप्रिक्स माल थाना परतापुर जनपद मेरठ 2. मजींत गौर पुत्र धवल सिंह निवासी मौहल्ला माधव पुरम बृह्मपुरी थाना बृह्मपुरी मेरठ मूल निवासी ग्राम सीकरी थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर** को ग्राम छिदवना मोड से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तगण के कब्जे से 02 लाख रुपये, 01 लैपटाफ एप्पल कम्पन्नी, 01 बैंक की पाँच चैक बुक,05 आधार कार्ड ,02 पैन कार्ड, 07 डैबिट कार्ड ,01 डीएल, 04 मोबाईल फोन 02 सैमसंग 01 एप्पल 01 वन प्लस कम्पन्नी, 01 गाडी नैक्सान रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 15 बीजेड 7074 बरामद हुए। अभियुक्तगण के विरुध्द अन्य आवश्यक विधिक कार्यवाही कर समय से माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है।

पूछताछ का विवरणः- अभिगणगण द्वारा पूछने पर बताया कि हम लोग फर्जी कम्पन्नी खोलकर जनता के लोगो से कम्पन्नी मे निवेश करने हेतू लालच देकर धोखाधडी व छल करके लोगो से पैसे ऐठने का काम करते है हमारी कम्पन्नी एनसीआर क्षेत्र हरियाणा दिल्ली व उ0प्र0 मे फर्जी कम्पन्नी खोल रखी है जिन्हे मेरे अन्य साथी भी चला रहे है। हमने सहारनपुर से भी ऐसे ही धोखाधडी करके पैसे ठगे है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. शक्ति सिंह पुत्र राजकुमार निवासी 162/2 गणेश पुरी थाना बृह्मपुरी मेरठ हाल पता फ्लैट नम्बर 610 ली ग्रान्ड कालौनी निकट साप्रिक्स माल थाना परतापुर जनपद मेरठ
2. मजींत गौर पुत्र धवल सिंह निवासी मौहल्ला माधव पुरम बृह्मपुरी थाना बृह्मपुरी मेरठ मूल पता ग्राम सीकरी थाना खानपुर जनपद बुलन्दशहर

बरामदगी का विवरण -

- 2,00,000/- लाख रुपये
- 01 लैपटाप एप्पल कम्पनी

- 05 चैक बुक
- 05 आधार कार्ड ,
- 02 पैन कार्ड,
- 07 डैबिट कार्ड
- 01 डी.एल.
- 04 मोबाईल फोन 02 सैमसंग 01 एप्पल 01 वन प्लस कम्पन्नी,
- 01 गाडी नैक्सान रजिस्ट्रेशन नम्बर यूपी 15 बीजेड 7074

आपराधिक इतिहास अभियुक्त शक्ति उपरोक्त -

मु0अ0स0 103/25 धारा 406/420 भादवि थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 श्री रामकुमार गौतम थाना सदर बाजार, सहारनपुर।
2. उ0नि0 श्री देवीचरण थाना सदर बाजार सहारनपुर।
3. का0 933 आशीष कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
4. हो0गा0 1565 विनोद कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
5. चालक नीरज कुमार कुमार थाना सदर बाजार जनपद सहारनपुर।
6. उ0नि0 लाल सिंह एसटीएफ टीम आगरा
7. है0का0 ब्रजराज सिंह एसटीएफ टीम आगरा
8. है0का0 विवेक कुमार एसटीएफ टीम आगरा
9. है0का0 बलदेव सिंह एसटीएफ टीम आगरा
10. है0का0 अंकित कुमार एसटीएफ टीम आगरा